न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री उदेराम पिता श्री हरीदास वैरागी निवसी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शंकरी बाई पत्नी श्री हीरालाल जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री शंकरदास पिता श्री मोहनलाल वैरागी निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी मावली दिनांक 17–05–2016 प्रकरण
संख्या 79/2014 वाद पत्र

———

उपस्थित :–1– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 2
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

———/———

निर्णय **दिनांक 16–10–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादिया द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध ग्राम मावली की आराजीयात का हस्ब राजस्व रेकर्ड तथा अनुतोष के कलम संख्या **''अ''** अनुसार कब्जे के अनुसार विभाजन किये जाने का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 प्रतिवादी द्वारा सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 5–12–2014 को अधिनस्थ न्यायालय ने

उभयपक्ष की सहमति से उप तहसीलदार मावली को उभयपक्ष की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने को निर्दिष्ट किया। अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–2–2016 को पटवारी साकरोदा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय में प्राप्त होने पर उभयपक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति तथा वादी की सहमति आधार पर विभाजन प्रस्ताव पर अंतिम डिक्री दिनांक 17–5–2017 को अधिनस्थ न्यायालय ने जारी की। अधिनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री दिंनाक 17–5–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–2–2017 को पेश की।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया किय उसे निर्णय व अपील की प्रथम बार जानकारी 6–2–2017 को हुई, जब उसने पटवारी से नकल प्राप्त की। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

उपरोक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की और से देते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी दिनांक 17–5–2016 को हो चुकी थी। अंतिम डिक्री भी सहमति आधार पर उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में पारित की गई है तथा अपीलान्ट को इसकी जानकारी होना लाजमी है। अंतिम डिक्री की 9 माह बाद जानकारी होना गलत बताया है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

हमारे द्वारा दफा–5 जाब्ता मयाद पर अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय का अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 17–5–2016 को उभयपक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित हुआ है। विभाजन प्रस्ताव पर आई.एल.आर. द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस दिनांक 22–11–2015 को उसने (अपीलान्ट) ने लेने से मना किया है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–5–2016 को अपीलान्ट के अधिवक्ता के उपस्थित होना तथा विभाजन प्रस्ताव के दौरान भी उसे विभाजन प्रस्ताव तैयार होने की जानकारी होना सुस्पष्ट है। अपीलान्ट का यह कहना कि उसे निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 6–2–2017 को हुई, यह उपरोक्त परिस्थितियों से मान्य नहीं हो सकती। अपील की निर्धारित मयाद तिथि 16–6–2016 से

करीब 7 माह विलम्ब से प्रस्तुत हुई है, जिसके लिए दिए ये कारण न तो उचित है न ही पर्याप्त। इन परिस्थितियों से रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरे आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711 (एच.सी) एवं आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117 (एच.सी) पेश की है, जो इस प्रकरण से सुसंगत है तथा इस प्रकरण में 7 माह के विलम्ब को कण्डोन किये जाने के लिए कोई उचित व पर्याप्त आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री उदेराम पिता श्री हरीदास वैरागी निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

बनाम

1– श्रीमती शंकरी बाई पत्नी श्री हीरालाल जाट निवासी मावली तह0 मावली जिला उदयपुर अन्य–1 व सरकार

अपील नं0 **16/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **वल्लभनगर.....** मुकाम मुर्क्खे.....**17**.....माह.....**05**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**16**..... माह .....**10**..... सन् **2018** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**श्री तुलसीराम डांगी ....**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री संजय बोहरा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2016 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**16**..... माह ...**10**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।